अध्याय VI — इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

6.1 एन आई सी एस आई की अपर्याप्त ऋण वसूली तंत्र

एन आई सी एस आई में उचित वसूली तंत्र न होने से सरकारी विभागों/ एजेंसियों से देय राशि ₹111.20 करोड़ का संचय हुआ और इसने पूर्ण परियोजनाओं के राजस्व हानि के जोखिम को उजागर किया।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा आई एन सी (एन आई सी एस आई) की स्थापना 1995 में इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) के अंतर्गत कम्पनी के खंड 8 के तहत की गई थी जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी), एम ई आई टी वाई व अन्य सरकारी विभागों व संगठनो (जैसे-पी एस यू, स्वायत निकाय इत्यादि) द्वारा शुरू की गई ई गवर्नेंस परियोजनाओं हेतु सूचना व प्रौद्योगिकी (आई टी) समाधान करने व खरीदने के लिए है जिसके लिए यह समय-समय पर निर्धारित दरों पर 'प्रशासनिक प्रभार' लेता है।

एन आई सी एस आई (कंपनी) ने आई टी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए सरकारी विभागों और सरकारी एजेंसियो के साथ करार/ समझौता ज्ञापन किया था। कंपनी ने 1995 में स्थापना के बाद से लगभग 35,000 परियोजनाओं को कार्यान्वित किया था, जिसमें से लगभग 4,030 परियोजनाएं बकाया/ प्रगति पर थी और मार्च 2021 तक 30,970 परियोजनाएं बंद/ पूर्ण बताई गई थीं। 31 मार्च 2021 तक कंपनी को ₹98.23 करोड़ का लाभ प्राप्त हुआ और इसकी मुख्य आय प्रशासनिक प्रभारों, वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और बैंको के पास अधिशेष निधि पर ब्याज के ही थे।

कंपनी प्रयोगकर्ताओं/ ग्राहकों/ ग्राहक विभागों से 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की मांग के लिए प्रोफार्मा बीजक जारी करती है, जिसे अपने ग्राहकों के लिए सेवाओं और सामानों की खरीद के लिए विक्रेताओं को भुगतान करना होता है। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि प्रयोगकर्ता विभागों से अग्रिम प्राप्त होने पर, कंपनी ने अपने पैनल में शामिल उन विक्रेंताओं को कार्य आदेश दिए जिन्होने आदेश पूरा होने के बाद कम्पनी को बीजक जमा किए और कार्य आदेश में भुगतान की शर्तो के अनुसार उन्हें भुगतान किए। तथापि, प्रयोगकर्ता विभागों ने परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भी अग्रिमों/ शेष देय राशियों के भुगतान में चूक की जबकि एन आई सी एस आई ने पहले ही विक्रेताओं को भुगतान कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप बड़े देनदारों का संचय हुआ और 31 मार्च 2021 तक, कम्पनी के पास ₹348.69 करोड़[58] की देनदारी का संचय था। इसमें से ₹111.20 करोड़ का बकाया, 2,378 परियोजनाओं से संबंधित

[58] ग्राहक विभाग में 29 केन्द्र सरकार के विभाग, 24 राज्य सरकार के विभाग, 5 पी एस यू, 6 स्वायत्त संस्थान आदि शामिल है

था जो 1998 से 2021 के दौरान पूरी की गई थी, जैसा कि नीचे दी गई **तालिका 6.1** में सक्षेपित किया गया है।

तालिका 6.1: अवधि वार बकाया प्राप्य

परियोजनायें पूर्ण	बकाया देय (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
पिछले दस वर्ष से अधिक (1998 से 31.03.2011)	37.16	33.42
पांच से दस वर्ष पूर्व (01.04.2011 से 31.03.2016)	41.00	36.87
तीन से पांच वर्ष पूर्व (01.04.2016 से 31.03.2018)	19.16	17.23
तीन वर्ष पूर्व तक (01.04.2018 से 31.03.2021)	13.88	12.48
कुल	**111.20**	**100**

उपरोक्त तालिका 6.1 के अनुसार, बकाया देयों का 87.52 प्रतिशत तीन वर्षों से अधिक का था, ऐसे पुराने देयों की वसूली की सम्भावना समय बीतने के साथ धूमिल हो गई थी। इसके अतिरिक्त, बकाया देयों का ₹46.34 करोड़ 628 बंद परियोजनाओ से संबंधित था जिसे एन आई सी एस आई द्वारा अपने मूल विभाग/ कार्यालय अर्थात एन आई सी की ओर से किया गया था, इसमें से ₹23.52 करोड़ उन 227 परियोजनाओं से सम्बन्धित थें जो कि पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से बंद पडी थी। 31 मार्च 2021 तक बकाया ₹111.20 करोड़ के देनदारों में से ₹86.73 करोड़ (लगभग 78 प्रतिशत) का भुगतान एन आई सी एस आई की आंतिरिक निधि में से विक्रेताओं को किया गया था।

संवीक्षा से पता चला कि कम्पनी ने पूर्व की परियोजनाओं के देयों का निपटान करने के पहले ही उन्हीं ग्राहकों के साथ नई परियोजनायें शुरू की तथा उनसे प्राप्त अग्रिम के आधिक्य में अपनी निधि से व्यय करना जारी रखा। कम्पनी ने अपने लेखों में 10 वर्ष से भी अधिक पुराने देनदारों के लिये 100 प्रतिशत का प्रावधान, 5 से 10 वर्ष पुराने देनदारों के लिये 50 प्रतिशत तथा 3 से 5 वर्ष पुराने देनदारों के लिये 25 प्रतिशत प्रावधान दिया।

लेखापरीक्षा द्वारा (जून 2018), इंगित किये जाने के बाद विक्रेताओं को दिये गये क्रय आदेशों में त्रुटियां स्वीकार करते हुये प्रबन्धन ने अपने उत्तर में (दिसम्बर 2018) बताया कि उसके बाद, इसने क्रय आदेशों में एक शर्त शामिल की कि सामान व सेवाओं की सुपुर्दगी/ प्रतिष्ठापन/ आपूर्ति के बाद, कम्पनी उपयोगकर्ता विभागों से शेष निधि प्राप्त होने के बाद ही विक्रेताओं को आगे भुगतान जारी करेगी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मार्च 2021) कि यद्यपि एन आई सी एस आई द्वारा प्रपत्र बीजक में शर्त के रूप में उल्लेखित किया जा रहा था कि सम्मिलित 100 प्रतिशत की लागत अग्रिम में जारी की जाये, कुछ ग्राहक जी एफ आर प्रावधानों जिसमें केवल 40 प्रतिशत तक राशि अग्रिम में दिये जाना आवश्यक है, निधि प्रतिरोध इत्यादि जैसे कारणों के कारण कम राशि जारी कर रहे थे। तदनुसार, वार्षिक आधार पर बड़ी संख्या में देनदारों का संचयन हुआ है। कम्पनी ने

यह भी बताया कि नियमित जांच के अलावा, बडी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए मार्च 2021 में एक विशेष सेल का गठन किया गया था। मंत्रालय ने कम्पनी के उत्तर पर सहमति जताते हुए आश्वासन (सितम्बर 2021) दिया कि एन आई सी एस आई बकाया देयों की वसूली में तेजी लाने के लिए संबंधित उपयोगकर्ताओं के साथ आवश्यक कार्रवाई सक्रियता से जारी रखेगा।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि क्रय आदेश में विक्रेताओं को भुगतान से संबंधित संशोधित खंड की प्रविष्टी व अनुसरण के बावजूद, कम्पनी ग्राहकों से पूर्ण परियोजनाओं की ₹111.20 करोड़ की बकाया राशि की वसूली नहीं कर सकी, जबकि उन्होंने अपनी आंतरिक निधि से विक्रताओं को भुगतान किया था। जब परियोजनांओं पर कार्य चल रहा था, कम्पनी उन विभागों/ ऐजेंसियों से देय राशि के वसूली के बारे में पर्याप्त रूप से सतर्क नहीं थी। इसके अतिरिक्त कम्पनी को राजस्व जोखिम के साथ ₹38.04 करोड़[59] के ब्याज के संभावित जोखिम का सामाना करना पड़ा है। कम्पनी ने उन ऐजेंसियों से भी देय की वसूली के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए जिनके साथ उसने नये करार किये थे।

इस प्रकार उचित प्रक्रियाओं और वसूली तंत्र न होने तथा वसूली के प्रति उदासीन दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप परियोजनाओं के प्रति देय की वसूली/ निपटान नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि

एन आई सी एस आई चालू तथा पूर्ण परियोजनाओं में एक कुशल वसूली तंत्र सुनिश्चित करे। उन्हें ग्राहको के लिए नई परियोजनाएं शुरू करने के प्रकरण से पहले उनके साथ पिछले लेखों का निपटान सुनिश्चित करना चाहिए। वे विभिन्न ग्राहकों से अपने लंबित बकाया की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाये।

[59] ब्याज में हानि की गणना परम्परागत आधार पर प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की दर पर 10 वर्षो के लिए ₹37.16 करोड़ पर, 5 वर्षों के लिए ₹41 करोड़ पर और 3 वर्षों के लिए ₹19.16 करोड़ पर की गई है